

# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 46/17

सन् 2017

आरसीएमएस संख्या 2017/00197

बउनवानी:-नानगा उर्फ नानगराम पुत्र जन्सी मीना निवासी हनुत्या तहसील बौली जिला सवाईमाधोपुर  
बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार मित्रपुरा

(अपील विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार मित्रपुरा की मिसल संख्या 665/2015 निर्णय  
दिनांक 23.12.2015 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित :- 1. श्री श्याम मोहन शर्मा  
2. श्री महावीर चौधरी

वकील अपीलान्ट  
पैरोकार राजस्व

:- निर्णय :-

दिनांक 13.5.2019

अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार मित्रपुरा की मिसल संख्या 665/2015 में पारित निर्णय दिनांक 23.12.15 जिसके द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमण का दोषी पाये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध शास्ती आरोपित कर मौके से बेदखल करने के अतिरिक्त को 90 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर की जाकर अदालत मातहत का मूल अभिलेख व मौका रिपोर्ट अवलोकन हेतु तलब किया गया व विपक्षी की भी सुनवायी हेतु तलबी जरिये नोटिस की गयी।

अदालत मातहत से प्राप्त अभिलेख के अनुसार मामलें में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि सम्बत् 2072 में वाके ग्राम हनुत्या तहसील बौली की चरागाह भूमि आराजी ख0न0 400 रकबा 0.035 पर कब्जा एवं 0.10 है0 पर गेहूँ की फसल काशत कर अतिक्रमण किये जाने के आशय की रिपोर्ट नायब तहसीलदार मित्रपुरा के समक्ष प्रस्तुत की गयी एवं खाना कैफियत में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना अंकित किया है। रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अदालत मातहत ने अपीलान्ट को वास्तें सुनवायी व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये तलबी जरिये नोटिस की गयी, जिसकी पालना में अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर अतिचार करना स्वीकार किया तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्बत् 2072 फसल खरीफ के आधार पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील में पारित किया है। जिससे आहत होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत रूप से सुनवायी व सबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं दिया है क्योंकि ख0न0 400 रकबा 0.45 है0 पर अपीलान्ट का का किसी प्रकार का कोई कब्जा काशत नहीं था। यह कथन भी किया कि अदालत मातहत ने आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्तों के तहत विधिवत नोटिस जारी कर सुनवायी का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया एवं बिना सुने ही न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध अपीलान्ट के विरुद्ध इकतरफा में आदेश जैर अपील पारित कर दिया गया जिसके कारण अपीलान्ट अपनी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से महरूम हो गया। जहाँ तक अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण का प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधि में सुस्थापित है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिक्रमी नहीं माना जा सकता। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलान्ट को कथित प्रश्नगत भूमि पर से पूर्व में बेदखल किया गया हो, इस सम्बन्ध में अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का के लिये गये इकतरफा बयान को विधि अनुरूप नहीं माना जा सकता है तथा अपीलान्ट को पटवार हल्का से जिरह करने का समुचित अवसर दिये बिना ही अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाना न्याय के विपरीत है। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26.3.2017 को पुलिस का सिपाही वारण्ट लेकर गांव आने पर घरवालों के बताये जाने पर प्राप्त हुयी एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार नकल प्राप्त करने हेतु नकल प्रार्थना पत्र तहसील

में प्रस्तुत किया गया व नकल प्राप्त होने पर मुझ अपीलान्त के विरुद्ध पारित आदेश की अपील व लिमि0 प्रार्थना पत्र दफा-5 मय शपथ पत्र के डेट ऑफ नॉलेज के आधार पर अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी है। जिसमें विलम्ब की अवधि को क्षमा करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार जावे एवं आदेश जैर अपील खारिज फरमाया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

पैरोकार राजस्व ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रथम तो अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है एवं विलम्ब बाबत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों की पुष्टि में अपीलान्त ने कोई विधिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलान्त की सुनवायी का जहाँ तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी को सुनवायी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया गया कि सी.पी.सी. प्रावधानों के तहत अपीलान्त के नोटिस की तामील स्वयं अपीलान्त से करवायी गयी है। व्यक्तिशः करवायी गई तामील से हो जाती है। जिसकी पालना में अपीलान्त ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश नहीं किया, जिसके आधार पर अपीलान्त को सुनवायी का अवसर दिये जाने से सम्बन्धित तथ्यों की स्वतः पुष्टि हो जाती है। तत्पश्चात् मुताबिक रिपोर्ट अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने बाबत अंकित तथ्यों की जाँच के तहत अदालत मातहत द्वारा पटवार हल्का के लिये गये बयान के अतिरिक्त खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 फसल रबी के आधार पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना साबित होने की स्थिति में बाद जाँच आदेश जैर अपील पारित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधिसम्मत है जिसको यथावत रखते हुये अपील अपीलान्त खारिज फरमाये जाने बाबत निवेदन किया है।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व विधिवत अपीलान्त को सुनवायी व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया है जिसकी पुष्टि अपीलान्त को जारी नोटिस की पुस्त पर अपीलान्त की व्यक्तिशः करवायी गयी तामील से हो जाती है। जहाँ तक अपीलान्त के पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने का प्रश्न है इसकी पुष्टि भी पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवार हल्का के लिये गये बयान के आधार पर होती है किन्तु खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2072 फसल रबी के अनुसार उक्त ख0न0 400 रकबा 0.25 है0 पर किशनलाल पुत्र जन्सी अर्थात् अपीलान्त के भाई का ही 0.25 है0 पर कब्जा था अपीलान्त का कोई कब्जा काश्त नहीं था। ऐसी स्थिति में अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा हटा लेने बाबत किये गये कथन की पुष्टि तहसीलदार बाँली से तलब की गयी मौका रिपोर्ट से हो जाती है जिसके अनुसार ख0न0 400 रकबा 0.45 है0 पर पर वर्तमान में अपीलान्त का कब्जा काश्त नहीं है। अर्थात् अपीलान्त द्वारा किये कथन के अनुसार विवादित ख0न0 पर से कब्जा हटा लिया है। अतः न्याय के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त नानगा की सीमा तक स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त नानगा उर्फ नानगराम पुत्र जन्सी मीना को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील से दी गयी 90 दिवस की सिविल कारावास की सीमा तक स्वीकार की जाती है। शास्ति एवं बेदखली आदेश तथा अतिक्रमी किशनलाल की सजा यथावत रहेगी। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.5.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ०एस०पी०सिंह)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

